न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 817

प्रकरण संख्या 55 / 21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री अर्जुनसिंह राणावत जाति राजपूत निवासी कापड़ियों का खेड़ा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर हाल कावाखेड़ा कच्ची बस्ती, जनजीवननगर, वार्ड नम्बर 16 भीलवाड़ा राज.।

..........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।

..........अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री सुरेश मेनारिया

निर्णय

दिनांक : 17.05.2022

1. प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री अर्जुनसिंह राणावत जाति राजपुत निवासी कापड़ियों का खेड़ा तहसील भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कापड़ियों का खेड़ा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 135 के आराजी संख्या 1/3 रकबा 8–03 बीघा, आराजी संख्या 1/4, रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 3, रकबा 2–14 बीघा, आराजी संख्या 4 रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 6/1 रकबा 33–08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 45–11 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता श्री अर्जुनसिंह के नाम थी जो उनके निधन के बाद विरासत से प्रार्थी एवं प्रार्थी के दीगर भाई एवं बहिनों एवं माता के नाम बराबर से अंकित हुई जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा होकर रिकॉर्ड में अंकित है लेकिन पिता श्री अर्जुनसिंह की विरासत से खाता खतौनी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह के बजाय रणजीतसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपुत हिस्सा 1/10 दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को ऋण लेने, लगान जमा कराने, भूमि का विकास करने में हमेशा नाम को लेकर दिक्कत रहती है जिससे प्रार्थी का नाम जहां–जहां रणजीतसिंह अंकित है वहां–वहां राजेन्द्र सिंह शुद्धि से अंकित कराया जाना आवश्यक है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थी के पंचायत के राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा बनाये गये पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैक–डायरी, विद्युत कनेक्शन आदि सभी जगह राजेन्द्र सिंह लिखा हुआ है किन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में रणजीतसिंह राजस्व रेकर्ड में सहवन से गलत अंकित हो गया है जो एक लिपिकिय त्रुटि है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम रणजीतसिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह अंकित करवा त्रुटि में सुधार करवाये जाने का आदेश फरमावे।

2. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें प्रार्थी के खाता संख्या 135 में स्थित समस्त सहखातेदारों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजेन्द्रसिंह पिता स्व0 अर्जुनसिंह की मृत्यु के पश्चात् खोले गये नामान्तकरण में राजेन्द्रसिंह का नाम सहवन से गलती से रणजीत सिंह दर्ज हो गया है एवं रणजीतसिंह एवं राजेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति होकर सहखातेदारों के बड़े भाई है तथा उनका नाम राजस्व रेकर्ड में रणजीतसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह कर दिया जाए तो हम सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है अतः निवेदन किया है कि हम सहखातेदारो का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजेन्द्रसिंह का नाम रणजीतसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह सहीं दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

3. उक्त प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार भीण्डर द्वारा जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कापड़ियों का खेड़ा, पटवार मण्डल अमरपुरा खालसा के गत जमाबन्दी संवत् के खाता संख्या 135 के आराजी संख्या आराजी संख्या 1/3 रकबा 8–03 बीघा, आराजी संख्या 1/4, रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 3, रकबा 2–14 बीघा, आराजी संख्या 4 रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 6/1 रकबा 33–08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 45–11 बीघा भूमि में खातेदार श्री रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत रेकर्ड में दर्ज है एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 139 के आराजी संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37 कुल किता 13, कुल रकबा 9.84 हैक्टेयर भूमि में खातेदार रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत सा. देह के नाम रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता श्री अर्जुन[illegible] जाने से विरासत के नामान्तरण में रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह हिस्सा 1/10 [illegible] राजपुत दर्ज होकर नामान्तरण स्वीकृत है। अतः प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह के बजाय रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिह जाति राजपुत सहवन से नहीं [illegible]कर नामान्तरण संख्या 319 विरासत के निर्णय अनुसार रेकर्ड में दर्ज हुआ है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

कापड़ियों का खेड़ा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 135 के आराजी संख्या 1/3 रकबा 8–03 बीघा, आराजी संख्या 1/4, रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 3, रकबा 2–14 बीघा, आराजी संख्या 4 रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 6/1 रकबा 33–08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 45–11 बीघा भूमि में प्रार्थी रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत दर्ज रेकर्ड है एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 139 की आराजी संख्या 22 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 23 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 24 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 25 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 26 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा, 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 33 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 34 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 37 रकबा 3.2300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीतसिंह पुत्र अर्जूनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत दर्ज रेकर्ड है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, विद्युत बिल इत्यादी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह पिता अर्जूनसिंह है तथा प्रार्थी के सहखातेदारों ने भी प्रार्थी का नाम रणजीतसिंह के स्थान पर अर्जूनसिंह किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा संरपच ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह का ही उपनाम रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह है अतः राजेन्द्रसिंह उर्फ रणजीत सिंह एक ही व्यक्ति है।

5. अतः उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर मौजा कापड़ियों का खेड़ा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 139 की आराजी संख्या 22 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 23 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 24 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 25 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 26 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा, 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 33 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 34 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 37 रकबा 3.2300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीतसिंह पुत्र अर्जूनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत के स्थान पर राजेन्द्रसिंह उर्फ रणजीतसिंह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा 1/10 किया जाना उचित प्रतीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा कापड़ियों का खेड़ा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 135 के आराजी संख्या 1/3 रकबा 8–03 बीघा, आराजी संख्या 1/4, रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 3, रकबा 2–14 बीघा, आराजी संख्या 4 रकबा 0–13 बीघा, आराजी संख्या 6/1 रकबा 33–08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 45–11 बीघा भूमि में प्रार्थी रणजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत दर्ज रेकर्ड है एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 139 की आराजी संख्या 22 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 23 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 24 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 25 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 26 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा, 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 33 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 34 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 37 रकबा 3.2300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीतसिंह पुत्र अर्जूनसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपुत के स्थान पर राजेन्द्रसिंह उर्फ रणजीतसिंह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

7. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... •जिला–उद...

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested